अरवान राजसिंह उर्फ राजपाल सिंह बनाम स्टेट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र. सं. 424/24 88 RTA
11/12/24	पत्रावली पेशी में ली गई। वादी ने धारा 88 RTA सपठित धारा 136 LRA के पेश कर निवेदन किया कि वादी सं. 1 व 2 के नाम चक 10 STG के खाता सं. 103/99 में वादी सं. 1 के नाम हिस्सा 1/8 व वादी सं. 2 के नाम हिस्सा 1/8 कुल तादादी 4.8?4 है. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाते में वादी सं. 1 का नाम राजपाल सिंह व वादी सं. 2 का नाम सुखमिन्द्र कौर दर्ज राजस्व Record है जो काबिल दुरुस्ती है क्योंकि वादीगण के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में वादीगण का नाम क्रमश ~~राजपाल~~ राजसिंह व सुखविन्द्र कौर अंकित है इसलिए मुताबिक दस्तावेज वादी सं. 1 का नाम राजसिंह व वादी सं. 2 का नाम सुखविन्द्र कौर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। वाद पत्र दर्ज कर तहसीलदार हनुमानगढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार हनुमानगढ़ के पत्रांक LR/2024/4184 दिनांक 20/11/2024 द्वारा अवगत करवाया गया है कि मुताबिक वाद पत्र के दुरुस्ती की जानी जायज है क्योंकि राजसिंह व राजपाल सिंह व सुखमिन्द्र कौर व सुखविन्द्र कौर एक ही व्यक्ति है जिनके पिता/पति का नाम गुरदर्शन सिंह है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान किया। तस्दीक द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि से वादपत्र अनुतोष की पुष्टि होती है। उक्त विवेचन के उपरांत वाद पत्र स्वीकार कर तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 10 STG [illegible] खाता सं. 103/99 में दर्ज खातेदार राज[illegible]सिंह व सुखमिन्द्र कौर की जगह [illegible] कौर पुत्र/पत्नी [illegible] सिंह दर्ज कर राजस्व [illegible] दुरुस्त किया जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। [signature] सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.12.27 13:25:33 IST
Reason: SelfAttested